भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
Project Implementation Unit, Bareilly
282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)
282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)
फोन/Tel.: +91-581 3501150 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com

18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/ 19174 13.10.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हलद्वानी।

विषय: जनपद उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–74 (नया रा.रा.–30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021).**

संदर्भ: (1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023.
(2) आपका पत्रांक 6941/12–1 हलद्वानी दिनांक 02.05.2023.
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/18338 दिनांक 28.06.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धांतिक स्वकृति जारी की गयी थी।

2. उपरोक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में आप द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन करने एवं धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रु. 6,07,660/– एवं वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए वर्तमान मूल्य रु. 7,57,125/– मांग की गयी थी, जिसके अनुपालन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2023 द्वारा उपरोक्त धनराशि सहित शर्तो के अनुपालन हेतु आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

3. अवगत कराना है कि सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 के शर्त संख्या–9 में वर्णित एफआरए. 2006 का अनुपालन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (5 प्रतियां मूल रूप में) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों के कटान कराने हेतु कार्यानुमति निर्गत करने का कष्ट करें तथा विधिवत् स्वीकृति (स्टेज–2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण कराया जा सके।

संलग्नक: FRA Certificate (5 प्रतियां मूल रूप में)।

(बी0पी0 पाठक)
परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/Tel.: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com

18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/18338 28.06.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हलद्वानी।

विषयः जनपद उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–74 (नया रा.रा.–30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।**(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

संदर्भः (1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023.
(2) आपका पत्रांक 6941/12–1 हलद्वानी दिनांक 02.05.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धांतिक स्वकृति जारी की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :

S. No.	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1581 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.581 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रु. 6,07,660/– जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। (Annexure-I) (ख) वन विभाग से संबंधित है।

प्रधान कार्यालयः जी-5 एवं 6, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 फोन : 91-11-25074100 /200 वेबसाइट : www.nhai.org
Corporate office : G-5 & 6, Sector -10, Dwarka, New Delhi - 110 075 Tel. : +91-11-25074100 / 200 website: www.nhai.org

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य : (क) इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2009, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (P. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 /2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.7905हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए वर्तमान मूल्य रु. 7,57,125/– जमा कर दिया गया है। ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य प्रति संलग्न की जा रही है। (Annexure-I) (ख) शपथपत्र संलग्न किया गया है। (Annexure-II)
6	प्रयोक्ता अभिकरनण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 83 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के आलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन विभाग से संबंधित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
9	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से संनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन हेतु जिला कलेक्टर उधमसिंह नगर से निर्धारित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.06.2023 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। कृपया इस

		संबंध में जिलाधिकारी स्तर से प्रमाणपत्र निर्गत कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
12	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
13	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगें।	वन विभाग से संबंधित है।
14	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करावायेंगे।	वन विभाग से संबंधित है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
17	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
19	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अंतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 PC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।

25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
26	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
27	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नकों की पाँच–पाँच प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति (स्टेज–2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण कराया जा सके।

यह भी अवगत कराना है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों के कटान कराने हेतु कार्यानुमति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0पी0 पाठक)
परियोजना निदेशक

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the Distract Magistrate,

District Udham Singh Nagar

****

No. ..885......... Dated ..06/10/23...

TOWHOWSOEVERITMAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 ('FRA'for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7905** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India, PIU, Bareilly for **" Improvement and up gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the State of Uttar Pradesh and Uttarakhand"** in Udham Singh Nagar district of Uttarakhand, falls within the jurisdiction of Udham Singh Nagar district of Uttarakhand villages(s) **Gori Kheda** and **Chikaghat** in **Sitarganj** Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.7905** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.................................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Uday Raj Singh)

District Magistrate

Udham Singh Nagar

जिलाधिकारी

ऊधमसिंहनगर

दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंह नगर।
2. श्री सन्दीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
3. श्री अमन अनिरूद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर।

सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण अधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम समिति की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तरा प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य मे भारतमाला लॉट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगज तक एन.एच.–24 (नया रा.रा.–30) खण्ड का सुदृढीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु के विषय में अवगत कराया गया।

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपस्थित सभी ग्रामवाशियों द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। उक्त के क्रम में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्नक–1)

खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी बैठक कार्यवृत में परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी की भूमि अधिगृहित ना किये जाने तथा वनाधिकारों के प्रभावित ना होने सम्बन्धी उल्लेख किया है। वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्नक–2)

उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.7905 है0 वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावे प्राप्त नही हुए हैं तथा दावे किसी स्तर पर लम्बित नही है। अतः उपरोक्त क्रम में ग्राम सभा एवं उप खण्डस्तरीय समिति के अनापत्ति प्रमाण पत्र के दृष्टिगत जनपद स्तरीय समति से 0.7905 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(उदय राज सिंह)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर

पत्रांक/ 884 /स.क./जि.स्त.व.अधि./2023–24 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

01. उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
03. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र फुलैया– खटीमा
04. श्रीमती दीपा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र भीकमपुरी–बाज़पुर।
05. श्रीमती नीलम राणा, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र एंचता–सितारगंज।

जिलाधिकारी
उधमसिंह नगर।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड के सुधारीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बरेली (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, उधमसिंह नगर द्वारा बैठक दिनांक 05/10/2023.......... को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री उदय राज सिंह	जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर (अध्यक्ष)	[signature]
2.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)	[signature] 5/10/23
3.	अमन अनिरुद्ध	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर (सदस्य सचिव)	[signature] 05/10/23
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

कार्यालय उप जिलाधिकारी सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर।

Email address: sdmsitarganj@gmail.com

पत्र संख्या 801 /एस0टी0/2023 दिनॉक 14.08.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
उधम सिहं नगर।

विषयः उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 (नया रा0रा0–30) के किमी 58.400 से किमी 70.800 के चारलेन चौड़ीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण,पिरयोजना कार्यान्वियन इकाई,बरेली के कार्यालय पत्र संख्या 18003/3/पी.के.जी.–2–1/फॉरेस्ट/2023/प.का.इ.–बरेली/18539 दिनॉक 27.07.2023 के कम में आपके कार्यालय के पंजिका संख्या 12/बी0 कम संख्या 8397 दिनॉक 07.08.2023 के माध्यम से प्राप्त पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसमें आपके द्वारा परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण,पिरयोजना कार्यान्वियन इकाई,बरेली के उक्त पत्र के कम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 (नया रा0रा0–30) के किमी 58.400 से किमी 70.800 के चारलेन चौड़ीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समाज कल्याण,वन विभाग,एवं राजस्व विभाग के संयुक्त माध्यम से इस आशय की आख्या कि उक्त परियोजना में प्रभावित ग्रामों गौरीखेड़ा व चीकाघाट में अधिसूचित जनजाति निवास करते है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में संयुक्त रिर्पोट/आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

दिये गये निर्देशों के कम में दिनॉक 11.08.2023 को समाज कल्याण,वन विभाग,एवं राजस्व विभाग की एक बैठक का आयोजन इस कार्यालय में किया गया,उक्त बैठक का कार्यवृत्त मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(तुषार सैनी)
उप जिलाधिकारी सितारगंज।

Received on 26/08/23

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागात वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,..

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक ......11.08.2023...... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री......तुषार सैनी......, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ०सि०न०)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष) /	उपजिलाधिकारी सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)
2.	प्रकाश चन्द्र उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) / वन क्षेत्राधिकारी आदिवासी	वन क्षेत्राधिकारी कोली वन क्षेत्र, सितारगंज
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0—सितारगंज (ऊ0सिं0नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत ...लिया—09 वि0ख0सितारगंज (ऊ0सिं0नगर)
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी सरतू देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत 8—... वि0ख0सितारगंज, ऊ0सिं0नगर
6.	नीरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	नीरज सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा—33 विकास खण्ड—सितारगंज ऊ0सि0नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

11.8.23

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जनपद - ऊधम सिंह नगर
उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागात वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,..

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक ....11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री....तुषार सैनी.............., उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वियन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वियन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी सितारगंज (ऊ०सिं०नगर)
2.	जीवन चन्द्र उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) / वन क्षेत्राधिकारी प्रतिनिधि	वन क्षेत्राधिकारी ...कोली वन क्षेत्र, सितारगंज
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०ख०–सितारगंज(ऊ०सि०नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत नकुलिया–09 वि०ख०सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत वि०ख०सितारगंज
6.	नीरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	नीरज सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा–33 विकास खण्ड–सितारगंज ऊ०सि०नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जनपद - ऊधम सिंह नगर

उपजिलाधिकारी
सितारगंज (ऊ०सिं०नगर)

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागात वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,......................................

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक ....11.08.2023.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री....तुषार सैनी...., उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सितारगंज (ऊ0सि0नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी सितारगंज(ऊ0सि0नगर)
2.	नीलेश चन्द्र उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) /वन क्षेत्राधिकारी प्रतिनिधि	वन क्षेत्राधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0–सितारगंज(ऊ0सि0नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karan करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत नकुलिया–09 वि0ख0सितारगंज(ऊ0सि0नगर)
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी सरतू देवी सदस्य
6.	नीरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	नीरज सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा–33 विकास खण्ड–सितारगंज ऊ0सि0नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज जनपद ऊधमसिंह नगर
उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सि0नगर)

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागात वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,.......................................

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक ....11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.......तुषार सैनी............, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)
2.	नवीन चन्द्र उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) / वन क्षेत्राधिकारी	वन क्षेत्राधिकारी बमौरी वन क्षेत्र, सितारगंज तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0-सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karan करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत नकुलिया-02 सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी
6.	पारस सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	पारस सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा-33 विकास खण्ड-सितारगंज ऊ0सि0नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जनपद - ऊधमसिंह नगर

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागात वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,.......................................

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक ....11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.......तुषार सैनी.........., उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सिं0नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)
2.	जीवन चन्द्र जोशी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) /वन क्षेत्राधिकारी प्रतिनिधि	वन क्षेत्राधिकारी [illegible] वन क्षेत्र, सितारगंज
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०ख०–सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karan करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत नकुलिया–[illegible]
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी
6.	पारस सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	पारस सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा–33 विकास खण्ड–सितारगंज ऊ०सि०नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर
उपजिलाधिकारी सितारगंज(ऊ०सिं०नगर)

परियजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील - सितारगंज, जिला - उधमसिंह नगर, उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905** है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया|

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....द्वारा दिनांक .... को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध अनापत्ति प्रणाम पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्ज़ा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | उपस्थित सभी ग्रामवाशियों द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्ज़ा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है| इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासिय़ो के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है|

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गौरीखेड़ा एवं चिकाघाट** के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / संस्था को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है|

प्रमाणित किया जो सत्य और सही है|

सचिव ग्राम पंचायत

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
वि.ख. सितारगंज ऊ.सि.नगर

ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23.1

दिनाँक .... को ग्राम सभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	गजन सिंह	Gajjan Singh
2	Karan Singh Chauhan	[signature]
3	कुलवीन्द्र सिंह	[signature]
4	Vishal Chauhan	Vishal
5	Jaspreet Singh	Happy
6	निसार अहमद	निसार अहमद
7	Gaurav Singh	[signature]
8	Bhawna Pant	[signature]
9	Savitri	[signature]
10	Vijay Singh	Vijay
11	Rakesh Singh	[signature]
12	देव सिंह	देव सिंह
13	संजय सिंह	संजय
14	रोहन	रोहन
15		
16		
17		
18		

[signature]

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
सितारगंज, ऊधमसिंहनगर

ग्राम प्रधान

[signature]

सचिव ग्राम पंचायत

Annex - I

PARIVESH
परिवेश

Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

5:34:15 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Proposal Detail	Application_No	Application No.(New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/146609/2021 Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand	ROAD1466092021559	61146609559	28 Apr 2023	CA: 709539/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 757125/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1466664/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :31 May 2023 **Bank Name** :Union Bank Of India **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :31 May 2023 **Transaction Date** :09 Jun 2023	Demand Letter Generated Challan

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, **बी पी पाठक**, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हैं कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905 हे.** वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।

(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक

पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, बी पी पाठक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हैं कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905 हे.** वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।

(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक

पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, **बी पी पाठक**, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हैं कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905 हे.** वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।

(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक

पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, **बी पी पाठक,** परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हैं कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905 हे.** वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।

(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, **बी पी पाठक**, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हैं कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905 हे.** वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।

(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

982/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कोनराड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

982/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/Tel.: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com

18003/1/For-Gen-1/2021/प.का.इ.-बरेली/18240   10.06.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

विषय: उत्तर प्रदेश्या और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक एन. एच. -24 (नया रा.रा.-30) खण्ड का सुदृढ़ीकरण हेतु 0.7905 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के संबंध में (Proposal no.- FP/UK/ROAD/146609/2021).

संदर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बो/यू0सी0पी0/06/14/2023/एफ.सी./107 दिनांक 28.04.2023.

महोदय,

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्माण कार्य हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में परियोजना में प्रभावित 0.7905 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज--1) प्राप्त हुई है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) के शर्त सं.-9 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी FRA Certificate की मांग की गयी है, जो वन प्रस्ताव में पॉच मूल प्रतियों के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

3. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र (FRA Certificate) के प्रारूप की पॉच प्रतियां हस्ताक्षर हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत FRA Certificate पॉच प्रतियों में जारी करने का कष्ट करें, जिससे कि वन प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: FRA Certificate के प्रारूप की पॉच प्रतियां।

भवदीय,

(बी.पी. पाठक)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, तराई पूर्वी, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/14/2023/एफ.सी./107 दिनांक: 28/04/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद– उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन । (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1685/ FP/UK/Road/146609/2021 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.04.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– जनपद– उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1581 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.581 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

   ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
19. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
26. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
27. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे) 18/4/23
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)